

प्रश्न सं. [क. 4586]

ग्राम चूनाभट्टी भोपाल के शासकीय नाला की भूमि के सीमांकन।
अंतरांकित विधानसभा प्रश्न क्र. 4586 मान. विधायक श्रीमती रेखा यादव।

परिशिष्ट-1

अतिरिक्त जानकारी

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भोपाल के राज्य प्रकरण क्रमांक 7/अ-3/86-87 में पारित आदेश दिनांक 21 मार्च 1997 के द्वारा शासकीय भूमि द्वारा 70 के अर रकबा 0.37 एकड़ भूमि का दानिश गृह निर्माण सहकारी समिति की खसरा क्र. 15/69/2/1 के अर रकबा 0.37 एकड़ के विनिमय किया गया था। विनिमय में शासकीय नाले का रकबा 0.37 एकड़ की भूमि के बदले निजी भूमि 0.37 एकड़ जो प्राप्त किया गया जो सड़क के रूप में म.प्र. शासन के नाम से अभिलेख में दर्ज है। सोके पर शासकीय नाले के विनिमय के रूप में प्राप्त भूमि पर दानिश गृह निर्माण द्वारा मुख्य-दूक काटे गये है तथा विनिमय में शासन को दी जाने वाली भूमि पर दानिश गृह निर्माण समिति द्वारा कालोनीकरण के लिये आंतरिक रूप में रोड के रूप में विकसित कर लिया गया है। वास्तविक तौर पर शासन के पक्ष में दानिश गृह निर्माण समिति द्वारा कोई भूमि अनर्पित नहीं की गई है, क्योंकि शासन को प्रदत्त भूमि का उपयोग दानिश गृह निर्माण सह. समिति द्वारा ही किया जा रहा है।

म.प्र. विधानसभा अंतरांकित प्रश्न क्र. 269 से उपर्युक्त आश्वासन क्रमांक 479 के सब में म.प्र. शासन राज्य विभाग के पत्र क्र. एक 21-6/2012/सात/नजूल दिनांक 4/9/2012 द्वारा तहसीलदार तहसील हुजुर को उनके न्यायालय के प्र.क्र. 07/3-3/86-87 में पारित आदेश दिनांक 21/3/1991 का पुर्ननिर्माण (re-construction) किये जाने के निर्देश दिये गये थे। (निर्देश की छायाप्रति संलग्न है)।

प्रकरण के पुर्ननिर्माण के उपरांत कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राज्य राजपरि, टी.टी.नगर भोपाल के पत्र क्र. 358/अ.वि.अ./13 भोपाल दिनांक 10/06/2013 के माध्यम से कलेक्टर जिला भोपाल को संपूर्ण वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए यह अनुरोध किया गया कि प्रश्नाधीन मामले में वास्तविक तौर पर कोई अदला-बदली की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है तथा शासन का हित निहित है। अतएव ऐसी दशा में आयुक्त महोदय की ओर प्रकरण निगरानी में रखा जाना उचित होगा। (प्रिपित प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न है)।

तत्पश्चात ग्राम चूनाभट्टी के उक्त शासकीय नाला के संबंध में कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल के पत्र क्र. 1226/न.अ./राज.परि/टी.टी.नगर/10 भोपाल दिनांक 23/02/2013 के द्वारा आयुक्त भोपाल, संभाग भोपाल को संपूर्ण स्थिति में प्रकरण क्र. 07/अ-3/86-87 में पारित आदेश दिनांक 21/03/1991 को स्वयं निगरानी में लेकर निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। उक्त प्रकरण के संबंध में न्यायालय कमिश्नर भोपाल संभाग भोपाल द्वारा दानिश गृह निर्माण समिति को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. 1103/प्र.अ.-1/2012-13 भोपाल दिनांक 1/7/13 में जारी किया गया जिसमें यह लेख किया गया कि उक्त जूटियों के कारण अपर कलेक्टर भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 07/अ-3/86-87 में पारित आदेश दिनांक 21/03/1991 को निरस्त किया जावे। कमिश्नर, भोपाल संभाग के उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र से व्यथित होकर दानिश गृह निर्माण समिति द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका उद्घृत्य पी.नं. 2218/2013 दायर की, जिसने शासन की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रकरण मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के ऑनलाईन स्टेट अनुसार अंतिम सुनवाई हेतु निश्चित है।